EXECUTIVE SUMMARY

1. The Government had notified the Haryana Fire Service Act, 2009. The Act stood implemented in the State of Haryana w.e.f. 1.6.2009. Further, the Haryana Fire Service Act – 2009 has been repealed and replaced by Haryana Fire & Emergency Services Act, 2022 w.e.f. 08.04.2022. The purpose of this Act is to cover the entire territory of the State to reach down to the village level and to overcome the difficulties in funding the expenditure for fire safety and management of Fire Services. It was felt that the Fire Services in the State should be recognized and brought under one roof.

   The Directorate of Fire & Emergency Services, Haryana has been merged with Revenue and Disaster Management Department w.e.f. 01.01.2023. Presently, 2105 Fire Officers/Officials in 109 Fire Stations and Training Centre are deployed in all districts of the State. Further, total of 607 Fire Vehicles and 102 Motor Cycles fitted with fire fighting system are available in the State (Annexure 'A').

2. A Fire Station is already functional in Tauru since the year 2011. 04 Fire Vehicles and 01 Motor Cycle fitted with Fire Fighting System along with 9 Fire Officers/Officials are deployed at Fire Station, Tauru.

   Further, three more Fire Stations namely Nuh, Ferozepur Jhirka, and Punhana are also operational in District Nuh. In these fire stations, 40 Fire Officers/Officials, 11 Fire Vehicles and 03 Motor Cycles fitted with Fire Fighting System are deployed in district Nuh (Annexure 'B').

3. The distance from Fire Station Tauru to Fire Station Nuh is approximately 16 kms, Fire Station Tauru to Fire Station Ferozepur Jhirka is 52 kms and Fire Station, Tauru to Fire Station, Punhana is 45 kms.

4. Fire Brigades are also provided from nearby Fire Stations as and when any fire incident takes place.

5. Fire Calls received in district Nuh were 624 as compared to total calls of 20915 received in the State for the period from 01.01.2022 to 16.02.2023 (Annexure 'C').

NOTE FOR THE PAD

***80: To Set up Fire Brigade Centre**

1. The Government had notified the Haryana Fire Service Act, 2009 vide notification No. Leg.16/2009, dated 24.3.2009. The Act stood implemented in the State of Haryana w.e.f. 1.6.2009 as per Govt. notification No.1/5/2009-1A1 dated 21/22 April, 2009. Further, the Haryana Fire Service Act – 2009 has been repealed and replaced with Haryana Fire & Emergency Services Act, 2022 w.e.f. 08.04.2022. The purpose of this Act is to cover the entire territory of the State to reach down to the village level and to overcome the difficulties in funding for fire protection. It was felt that the Fire Services in the State should be recognized and brought under one roof.

   The Directorate of Fire & Emergency Services, Haryana has been merged with Revenue and Disaster Management Department w.e.f. 01.01.2023. Presently, 2105 Fire Officers/Officials in 109 Fire Stations and Training Centre are deployed in all Districts of the State. Further, total of 607 Fire Vehicles and 102 Motor Cycles fitted with fire fighting system are available in the state (Annexure 'A').

2. A Fire Station is already functional in Tauru since the year 2011. 04 Fire Vehicles and 01 Motor Cycle fitted with Fire Fighting System along with 9 Fire Officers/Officials are deployed at Fire Station, Tauru.

   Further, three more Fire Stations namely Nuh, Ferozepur Jhirka, and Punhana are also operational in District Nuh. In these fire stations, 40 Fire Officers/Officials, 11 Fire Vehicles and 03 Motor Cycles fitted with Fire Fighting System are deployed in district Nuh (Annexure 'B').

3. The distance from Fire Station Tauru to Fire Station Nuh is approximately 16 kms, Fire Station Tauru to Fire Station Ferozepur Jhirka is 52 kms and Fire Station, Tauru to Fire Station, Punhana is 45 kms.

4. Fire Brigades are also provided from nearby Fire Stations as and when any fire incident takes place.

5. Fire Calls received in district Nuh were 624 as compared to total calls of 20915 received in the State for the period from 01.01.2022 to 16.02.2023 (Annexure 'C').

Annexure 'A'

The status of existing Fire Stations, Fire Vehicles and Fire Officers/Officials deployed in the State are as follows:-

Ser No.	Name of District	No of Fire Stations	No. of Fire Fighting Vehicles	No. of Motor Cycle fitted with Fire Fighting Equipments	No. of Fire Officers/officials deployed
1	Ambala	4	36	4	78
2	Bhiwani	2	18	3	49
3	Charkhi Dadri	1	10	2	25
4	Faridabad	5	33	6	63
5	Fatehabad	7	21	9	115
6	Gurugram	7	66	8	227
7	Hisar	9	40	9	148
8	Jhajjar	4	25	3	55
9	Jind	8	27	6	104
10	Kaithal	4	22	2	75
11	Karnal	8	33	7	181
12	Kurukshetra	4	23	4	86
13	Mahendragarh	2	13	2	46
14	Nuh	4	15	4	49
15	Palwal	3	18	3	50
16	Panchkula	4	27	4	83
17	Panipat	4	33	3	129
18	Rewari	3	22	3	70
19	Rohtak	4	27	2	96
20	Sirsa	5	32	8	131
21	Sonipat	9	31	5	127
22	Yamunanagar	8	35	5	118
Total		**109**	**607**	**102**	**2105**

Annexure 'B'

The status of existing Fire Stations wise Fire Vehicles deployed in district Nuh are as follows:-

Sr. No.	Name of District	Name of fire Station	No. of Fire Officers/Officials deployed	No. of Fire Fighting Vehicles	No. of Motor Cycle fitted with Fire Fighting Equipment
1	**Nuh**	Tauru	9	4	1
		Nuh	22	7	1
		Ferozepur Jhirka	8	2	1
		Punhana	10	2	1
		Total	**49**	**15**	**4**

Annexure 'C'

The status of Fire and Rescue Calls received from 01.01.2022 to 16.02.2023 is as follows:-

Sr. No.	Name of District	No. of Fire Stations	No. of Fire Calls
1	Ambala	4	807
2	Bhiwani	2	354
3	Charkhi Dadri	1	257
4	Faridabad	5	1200
5	Fatehabad	7	715
6	Gurugram	7	2065
7	Hisar	9	1542
8	Jhajjar	4	950
9	Jind	8	964
10	Kaithal	4	745
11	Karnal	8	2069
12	Kurukshetra	4	777
13	Mahendragarh	2	509
14	Nuh	4	624
15	Palwal	3	724
16	Panchkula	4	717
17	Panipat	4	985
18	Rewari	3	798
19	Rohtak	4	939
20	Sirsa	5	862
21	Sonipat	9	1565
22	Yamunanagar	8	747
Total		**109**	**20915**

कार्यकारी सारांश

1. सरकार द्वारा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम हरियाणा राज्य में 01.06.2009 से लागू कर दिया गया था। तदोपरांत, हरियाणा अग्निशमन सेवाएं अधिनियम – 2009 को निरस्त करते हुए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2022 को दिनांक 08.04.2022 से प्रतिस्थापित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए ग्रामीण स्तर तक पहुँचना तथा अग्नि सुरक्षा के लिए वित्तीय संरक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। यह महसूस किया गया कि राज्य में अग्निशमन सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए और इन्हें एक छत के नीचे लाया जाना चाहिए।

   अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा का दिनांक 01.01.2023 से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में, राज्य के सभी जिलों में स्थापित 109 दमकल केन्द्रों तथा अग्निशमन प्रशिक्षण केंन्द्र में 2105 अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में कुल 607 दमकल वाहन तथा दमकल उपकरणों सहित 102 मोटर साईकिल उपलब्ध हैं (अनुबन्ध 'क')।

2. दमकल केन्द्र, तावडू वर्ष 2011 से ही क्रियाशील है। दमकल केन्द्र, तावडू में 04 दमकल गाडियां व दमकल उपकरणों सहित 01 मोटर साइकिल तथा 9 अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं।

   इसके अतिरिक्त नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में भी तीन दमकल केन्द्र क्रियाशील हैं। जिला नूंह के इन दमकल केन्द्रों में 40 दमकल अधिकारी/कर्मचारी, 11 दमकल वाहन और दमकल उपकरणों के साथ 03 मोटर साइकिलें उपलब्ध हैं (अनुबन्ध 'ख')।

3. दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, नूंह की दूरी लगभग 16 किलोमीटर, दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, फिरोजपुर झिरका की दूरी 52 किलोमीटर तथा दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, पुन्हाना की दूरी 45 किलोमीटर है।

4. आग लगने की घटना होने पर आसपास के दमकल केन्द्रों से भी दमकल वाहन उपलब्ध करवाए जाते हैं।

5. दिनांक 01.01.2022 से 16.02.2023 की अवधि के दौरान राज्य में कुल 20915 अग्निशमन कॉल की तुलना में नूंह जिले में कुल 624 अग्निशमन कॉल प्राप्त हुई हैं (अनुबन्ध 'ग')।

पैड के लिए नोट

*80: दमकल केन्द्र स्थापित करना

1. सरकार द्वारा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 को अधिसूचना संख्या Leg.16/2009, दिनांक 24.3.2009 द्वारा लागू कर दिया गया था। यह अधिनियम हरियाणा राज्य में 01.06.2009 से सरकार की अधिसूचना संख्या 1/5/2009–1ए1 दिनांक 21/22 अप्रैल, 2009 द्वारा लागू किया गया था। तदोपरांत, हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 को निरस्त करते हुए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2022 को दिनांक 08.04.2022 से प्रतिस्थापित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए ग्रामीण स्तर तक पहुँचना तथा अग्नि सुरक्षा के लिए वित्तीय संरक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। यह महसूस किया गया कि राज्य में अग्निशमन सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए और इन्हें एक छत के नीचे लाया जाना चाहिए।

   अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा का दिनांक 01.01.2023 से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में, राज्य के सभी जिलों में स्थापित 109 दमकल केन्द्रों तथा अग्निशमन प्रशिक्षण केंन्द्र में 2105 अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में कुल 607 दमकल वाहन तथा दमकल उपकरणों सहित 102 मोटर साईकिल उपलब्ध हैं (अनुबन्ध 'क')।

2. दमकल केन्द्र, तावडू वर्ष 2011 से ही क्रियाशील है। दमकल केन्द्र, तावडू में 04 दमकल गाडियां व दमकल उपकरणों सहित 01 मोटर साइकिल तथा 9 अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं।

   इसके अतिरिक्त नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में भी तीन दमकल केन्द्र क्रियाशील हैं। जिला नूंह के इन दमकल केन्द्रों में 40 दमकल अधिकारी/कर्मचारी, 11 दमकल वाहन और दमकल उपकरणों के साथ 03 मोटर साइकिलें उपलब्ध हैं (अनुबन्ध 'ख')।

3. दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, नूंह की दूरी लगभग 16 किलोमीटर, दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, फिरोजपुर झिरका की दूरी 52

किलोमीटर तथा दमकल केन्द्र, तावडू से दमकल केन्द्र, पुन्हाना की दूरी 45 किलोमीटर है।

4. आग लगने की घटना होने पर आसपास के दमकल केन्द्रों से भी दमकल वाहन उपलब्ध करवाए जाते हैं।

5. दिनांक 01.01.2022 से 16.02.2023 की अवधि के दौरान राज्य में कुल 20915 अग्निशमन कॉल की तुलना में नूंह जिले में कुल 624 अग्निशमन कॉल प्राप्त हुई हैं (अनुबन्ध 'ग')।

अनुबन्ध 'क'

राज्य में स्थापित दमकल केन्द्रों, दमकल वाहनों तथा अग्निशमन अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	जिले का नाम	दमकल केन्द्रों की संख्या	दमकल वाहनो की संख्या	दमकल उपकरणों सहित मोटर साइकिलों की संख्या	तैनात अग्निशमन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1	अंबाला	4	36	4	78
2	भिवानी	2	18	3	49
3	चरखी	1	10	2	25
4	फरीदाबाद	5	33	6	63
5	फतेहाबाद	7	21	9	115
6	गुरूग्राम	7	66	8	227
7	हिसार	9	40	9	148
8	झज्जर	4	25	3	55
9	जींद	8	27	6	104
10	कैथल	4	22	2	75
11	करनाल	8	33	7	181
12	कुरुक्षेत्र	4	23	4	86
13	महेंद्रगढ़	2	13	2	46
14	नूह	4	15	4	49
15	पलवल	3	18	3	50
16	पंचकूला	4	27	4	83
17	पानीपत	4	33	3	129
18	रेवाड़ी	3	22	3	70
19	रोहतक	4	27	2	96
20	सिरसा	5	32	8	131
21	सोनीपत	9	31	5	127
22	यमुनानगर	8	35	5	118
कुल		109	607	102	2105

अनुबन्ध 'ख'

जिला नूंह में तैनात मौजूदा दमकल केन्द्रों अनुसार फायर वाहनों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	जिले का नाम	दमकल केन्द्रों के नाम	तैनात अग्निशमन अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	दमकल वाहनो की संख्या	दमकल उपकरणों सहित मोटर साइकिलों की संख्या
		तावडू	9	4	1
		नूंह	22	7	1
1	नूंह	फिरोजपुर झिरका	8	2	1
		पुन्हाना	10	2	1
		कुल	49	15	4

अनुबन्ध 'ग'

दिनांक 01.01.2022 से 16.02.2023 तक अग्नि और बचाव की प्राप्त कॉल का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	जिले का नाम	दमकल केन्द्रों की संख्या	अग्निशमन कॉल की संख्या
1	अंबाला	4	807
2	भिवानी	2	354
3	चरखी	1	257
4	फरीदाबाद	5	1200
5	फतेहाबाद	7	715
6	गुरूग्राम	7	2065
7	हिसार	9	1542
8	झज्जर	4	950
9	जींद	8	964
10	कैथल	4	745
11	करनाल	8	2069
12	कुरुक्षेत्र	4	777
13	महेंद्रगढ़	2	509
14	नूह	4	624
15	पलवल	3	724
16	पंचकूला	4	717
17	पानीपत	4	985
18	रेवाड़ी	3	798
19	रोहतक	4	939
20	सिरसा	5	862
21	सोनीपत	9	1565
22	यमुनानगर	8	747
कुल		109	20915